न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

मध्यस्थ वाद संख्या 25/2025

यूनियन आफ इंडिया बनाम मैसर्स रमा कान्ट्रेक्टर

दिनांकः 20-11-2025

पत्रावली पेश हुई। उभय़पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र 24ग माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 36(2) एवं 36(3) के अन्तर्गत अवार्ड के क्रियान्वयन के स्टे के लिए दिया है। आवेदक का कथन है कि धारा 34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष लम्बित है जिसमें अवार्ड दिनांकित 04-10-2023 को पास कराने की याचना की गई है। वित्त मंत्रालय के आफिस मेमोरेण्डम नंबर F1/9/2021-PPD दिनांकित 29-10-2021 जिसके साथ संलग्नक 1 है जिसमें GFRs में रूल 227A जोड़ा गया है जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि कोई भी पक्षकार जिसने अवार्ड को चुनौती दी है वे कान्ट्रेक्टर को आफर करेंगे कि वे एक एस्क्रो खाता (ESCROW Account) खुलवा ले और बैंक गारंटी दे दी जाये। इस आदेश के अनुपालन में विपक्षी को कई प्रति रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी गयी थी किन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं आया तथा न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि अन्तिम निस्तारण तक धारा 34 माध्यमस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत प्रस्तुत अवार्ड का क्रियान्वयन स्थगित किया जाये जिससे आगे वाले ब्याज की धनराशि का भार आवेदक पर न पड़े।

प्रार्थना के विरूद्ध आपत्ति 27ग दी गयी जिसमें विपक्षी द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा जिस आफिस मेमोरेण्डम का उल्लेख किया गया है वह उनके व आवेदक के मध्य करार का कोई भाग नहीं था। इसलिए विपक्षी को कोई एस्क्रो खाता (ESCROW Account) खोलने की आवश्यकता या बैंक गारंटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक विधि व्यवस्थाओं में यह उल्लेख किया गया है कि यदि अवार्ड का क्रियान्वयन स्टे हो जायेगा तो दूसरे पक्षकार को बहुत हानि होगी।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदक द्वारा 25ग/2 आफिस मेमोरेण्डम दिनांकित 29-10-2021 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 227A जनरल फंडामेंटल रूल्स को समाहित किया गया है। इसमें एस्क्रो खाता (ESCROW Account) खोलने का उल्लेख किया गया है और उल्लेख किया है कि

75 प्रतिशत की धनराशि विभाग द्वारा किसी अवार्ड को चुनौती देता है तो एस्क्रो खाता (ESCROW Account) में जमा कर सकता है, परन्तु यह आफिस मेमोरेण्डम आवेदक व विपक्षी के मध्य जब कान्ट्रेक्ट किया जा रहा था उसके बाद का है। उनका कान्ट्रेक्ट वर्ष 2016-17 में किया गया था जिसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इसको पूर्ववर्ती संविदाओं पर भी लागू किया जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 24ग निरस्त किया जाता है। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 04-12-2025 को पेश हो।

दिनांक 20-11-2025

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, मेरठ।

Digitally signed by Kshitij Kumar Srivastava
Date: 2025.11.20 16:39:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court